

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01022021-224853
SG-DL-E-01022021-224853

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2021/ माघ 9, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 299
No. 38]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2021/MAGHA 9, 1942	[N. C. T. D. No. 299

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

फा. नं. 88/दि.रा.वि.सेवा.प्रा./एस्टेब./दि.ए.न्या.वि.सेवा.समिति/2021/815.—दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम 2002 के द्वारा संशोधित विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के नियम 8ए में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का अनुसरण करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति अधिनियम, 1998 के अधिनियमन 3(3) के साथ पढ़ते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश/मुख्यसंरक्षक, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण अपने दिनांक 25.08.2020 के आदेश में सहर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के मौजूदा 2 सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और दो और नए सदस्यों को दिनांक 25.09.2020 से नामित किया है।

नामित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है—

क्रम सं.	नामित सदस्य का नाम	वर्ग/ अधिनियम जिस के अंतर्गत नियुक्त किया गया है।
1.	श्री अशोक कुमार, कार्यकारी निदेशक, डा. ए. वी. बलिगा मेमोरियल ट्रस्ट	अधिनियमन के वर्ग 3 (ए) के अंतर्गत
2.	सुश्री रेबिका एम. जान,	वरिष्ठ अधिवक्ता अधिनियमन के वर्ग 3 (बी) के अंतर्गत
3.	डा. राकेश चड्ढा एम्स, नई दिल्ली के मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख	अधिनियमन के वर्ग 3 (सी) के अंतर्गत
4.	प्रो. (डा.) जी. एस. वाजपेयी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	अधिनियमन के वर्ग 3 (डी) के अंतर्गत

आदेशानुसार
माननीय मुख्य न्यायाधीश,
दिल्ली उच्च न्यायालय
कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd January, 2021

Ref. No. 88/DSLSC/Estt./Cons. DHCLSC/2021/815.—n pursuance to the provision contained in section 8A of Legal Services Authorities Act, 1987, as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002 read with Regulations 3 (3) of High Court Legal Services Committee, Regulations 1998, the Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi/Patron-in-Chief, DSLSC vide his Lordship's orders dated 25.08.2020 has been pleased to extend the term of existing 2 members and also nominated two new members for another one year w.e.f. 25.09.2020 in respect of Delhi High Court Legal Services Committee.

The details of the nominated members are as under:-

S. No.	Name of Nominated Member	Category/Regulation under which appointed
1.	Mr. Ashok Kumar, Executive Director, Dr. A V Baliga Memorial Trust	Under Category 3 (a) of the Regulations.
2.	Ms. Rebecca M. John, Senior Advocate	Under Category 3 (b) of the Regulations.
3.	Dr. Rakesh Chadda, Head of Department of Psychiatry, AIIMS, New Delhi.	Under Category 3 (c) of the Regulations.
4.	Prof. (Dr.) G.S. Bajpai, Registrar, National Law University, Delhi	Under Category 3 (d) of the Regulations.

By Orders of Hon'ble Chief Justice,
High Court of Delhi, New Delhi
KANWAL JEET ARORA, Member Secy.